BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
IN
OA NO. 201 OF 2024

IN THE MATTER OF:

AMIT KUMAR

...APPLICANT

VERSUS

STATE OF U.P. & ORS.

....RESPONDENTS.

INDEX

S. NO.	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	Additional Affidavit of District Magistrate Shamli in compliance of order dated 29.01.2026 passed by this Hon'ble Tribunal	
2.	**Annexure No. 1: -** A copy of the report dated 07.04.2026	
3.	**Annexure No. 2: -** A copy of list of encroachers	

S. W1549

NOTARY
Satyendra Singh Kashyap
NOTARY/ADVOCATE
SHAMLI
DISTRICT (U.P.)
R. No. 9476/2012
GOVT. OF INDIA

FILED THROUGH

DATED: 20.04.2026

Ankit Verma

(ANKIT VERMA)

STANDING COUNSEL STATE OF UP

A-15 FF, NIZAMUDDIN EAST, NEW DELHI- 110013

MOB :- 09990804440

Email-ankit.scngtup@gmail.com

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

OA NO. 201 OF 2024

IN THE MATTER OF:

AMIT KUMAR

...APPLICANT

VERSUS

STATE OF U.P. & ORS.

....RESPONDENTS.

ADDITIONAL AFFIDAVIT ON BEHALF OF DISTRICT MAGISTRATE – SHAMLI IN COMPLIANCE OF THE ORDER DATED 29.01.2026 PASSED BY THIS HON'BLE TRIBUNAL

The Respondent No. 6 herein states as under:

MOST RESPECTFULLY SHOWETH:

I, **Arvind Kumar Chauhan** aged about **43** years, presently posted as District Magistrate - Shamli, do hereby solemnly affirm and state on oath as under:

1. That I am the above-mentioned officer of answering Respondent No. 6 and is duly competent to file the present additional affidavit. That the Deponent is well conversant with the facts and the circumstance of the instant case and is competent to swear this additional affidavit.

2. That the Deponent has read and understood the contents of the present additional affidavit. The averments made in the Original

Application, which are not specifically admitted hereunder, must be considered to have been denied by the Deponent.

3. That the contents of the present additional affidavit have been drafted by my counsel on my instructions and the contents of the same are true to my knowledge and nothing material has been concealed there from.

4. That this additional affidavit is being filed in compliance with the directions issued by this Hon'ble Tribunal vide order dated 29.01.2026, specifically regarding the status of the Khokhari River and the removal of encroachments therein.

"1. Learned Counsel appearing for the Respondent No. 6 and 7 submits that the objections to their additional affidavit/action plan have been filed by the Applicant only recently and seek time to obtain instructions in this regard. Applicant is directed to supply a copy of the IA No. 49/2026 and 50/2026 to the counsel for the Respondents within one week. Respondents are directed to file their response to these IAs within four weeks.

2. I.A. No. 668/2025 has been filed by one Aman Kumar for impleadment in this OA. This IA has been opposed by the Applicant and the Respondents also. The present OA is at the advance stage and is reaching the stage of final of hearing. The Applicant in this OA has placed on record the relevant material and is prosecuting this OA. Hence, at this stage, we do not deem it proper to allow the prayer for impleadment made in the IA No. 668/2025 which is accordingly dismissed, however, with

NOTARY
Satyendra Singh Kashyap
NOTARY/ADVOCATE
SHAMLI
DISTRICT (U.P.)
R. No. 9476/2012
GOVT. OF INDIA

liberty to the Applicant to take up the fresh proceedings, if any, surviving issue remains after the disposal of this OA.

3. List on 22.04.2026."

5. That in compliance with the aforesaid directions, an inspection and detailed inquiry were conducted by the Sub-Divisional Magistrate, District Shamli, culminating in the submission of a report dated 07.04.2026. The salient findings of the said report are enumerated hereinbelow:

    a. That the land pertaining to the Khokhari River (locally known by the said name) situated in Village Alipura comprises multiple Gata numbers.

    b. That, as per the extant revenue records, the names of private cultivators have been duly recorded against the said Gata numbers in Village Alipura since the time of the original Settlement (Bandobast).

    c. That in terms of Section 38 of the U.P. Revenue Code, 2006 read with Rule 36 of the U.P. Revenue Code Rules, 2016, corrections in revenue records are permissible only in cases of clerical errors or fraudulent entries. Since the entries in question trace back to the original Settlement and do not arise out of any clerical mistake or fraud, the names of the recorded private cultivators cannot be summarily expunged under the aforesaid statutory provisions.

NOTARY GOVT. OF INDIA Satender Singh Kashyap NOTARY/ADVOCATE SHAMLI DISTRICT (U.P.) R. No. 9478/2013

A copy of the report dated 07.04.2026 is being annexed as **Annexure No. 1** to this additional affidavit

6. That upon inquiry, 27 unauthorized occupants were identified upon the riverbed in Village Sakoti. Consequently, proceedings were duly initiated under Section 152 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita. Upon affording due opportunity of hearing in Case No. 2700/2025, orders dated 27.06.2025 were passed directing removal of the encroachments on the ground of "public nuisance".

7. That similarly, 6 unauthorized occupants were identified in Village Chausana. Proceedings in Case No. 2701/2025 were accordingly undertaken, culminating in eviction orders dated 27.06.2025 being passed against the said encroachers. A copy of list of encroachers is being annexed as **Annexure No. 2** to this additional affidavit.

NOTARY GOVT. OF INDIA Satyendra Singh Kashyap NOTARY/ADVOCATE SHAMLI DISTRICT (U.P.) R. No. 9476/2012

8. That in several villages, namely Chausana Jadid, Alipura, Bhadi, Chausana Bila Ahtamal, Mustafabad, Sakoti, and others, the Khokhari River is locally recognized by the said nomenclature; however, the official Settlement records reflect variations, with certain parcels recorded as "river" (nadi) and others as "drain" (nala).

9. That the District Administration remains steadfastly committed to the Conservation and Preservation of water bodies. In cases where land is duly recorded as riverbed and is found to be under encroachment, stringent legal action for eviction is being

undertaken. However, in instances where private rights have crystallized during the Settlement process, the administration is bound to act in accordance with the provisions of the U.P. Revenue Code, 2006.

10. That the deponent has acted with due diligence and in strict adherence to the orders passed by this Hon'ble Tribunal, and has undertaken all necessary measures to ensure full and timely compliance thereof, both in letter as well as in spirit.

11. That in the aforesaid facts and circumstances, the present additional affidavit is being filed for the kind consideration of this Hon'ble Tribunal, and it is most respectfully prayed that the same be taken on record.

NOTARY
Satyapal Singh Kashyap
NOTARY/ADVOCATE
SHAMLI
DISTRICT (U.P.)
R. No. 9476/2013
GOVT. OF INDIA

DEPONENT
(T)/Signature of Deponent

VERIFICATION

Verified at Shamli on this 20th day of April, that the contents of the above affidavit from paragraphs 1 to 11 are true and correct to the best of my knowledge and belief. No part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

ATTESTED
20-4-26
Satya Pal Singh Kashyap
Notary/advocate
District Shamli

DEPONENT
(T)/Signature of Deponent

NOTARY
Satyapal Singh Kashyap
NOTARY/ADVOCATE
SHAMLI
DISTRICT (U.P.)
R. No. 9476/2013
GOVT. OF INDIA
NOTARIAL NOTARIAL

मै घोषणा करता हूँ कि शपथकर्ता को जानता हूँ उसने इस शपथ पत्र पर आज मेरे व नोटेरी के सामने अपने हस्ताक्षर अगूँठा निशानी किया है।

Annexure-01

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण प्रमुख शाखा नई दिल्ली

आई0 ए0 नं0– 50 सन–2026

अमित कुमार बनाम उत्तर प्रदेश सरकार आदि

प्रस्तवार आख्या मिनजानिब विपक्षी न0 6:–

1– यह कि पैरा नं0 1 के अनुसार मूल आवेदन न0 201 सन 2024 प्रस्तुत किया जाना स्वीकार है।

2– यह कि पैरा नं0 2 के अनुसार आदेश पारित किया जाना स्वीकार है ।

3– यह कि पैरा नं0 3 के अनुसार जिला शामली से सम्बन्धित ग्रामो के अनुसार स्थानीय प्रचलित नाम से ज्ञात खोखरी नदी से सम्बन्धित भूमि का विवरण सूची सहित दिया जा रहा है राजस्व अभिलेखो के अनुसार मौजा अलीपुरा के खसरा नम्बर 23मि रकबा 0.126 है0, खसरा नम्बर 23मि रकबा 0.0200है0, खसरा नम्बर 23मि रकबा 0.1280है0, खसरा नम्बर 23 मि रकबा 1.0440है0, खसरा नम्बर 23 मि रकबा 0.2870है0 काश्तकार के नाम है जो बन्दोबस्त के समय से ही दर्ज है इस कारण किसी काश्तकार का नाम राजस्व अभिलेखो से हटाया जाना विधिक रुप से सम्भव नही है तथा नदी व नाला का इन्द्राज भी बन्दोबस्त के समय ही चला आ रहा है।

4– यह कि पैरा नं0 4 जिला सहारनपुर से सम्बन्धित है।

5– यह कि पैरा नं0 5 के अनुसार जो भी राजस्व अभिलेखो मे इन्द्राज चला आ रहा है वन्दोबस्त के समय ही है तथा जो भूमि निजी काश्तकारो के नाम है वह भी बन्दोबस्त के समय से ही है तथा कोई लिपिकीय त्रुटि न होने के कारण अभिलेखीय इन्द्राज मे हस्तक्षेप किया जाना सम्भव नही है ।

6– यह कि पैरा नं0 6 मे दिये गये आधार के अनुसार मौजा सकौती के रकबे मे नदी तल पर किये गये 27 अवैध कब्जाधारियो के विरुद्व 152 भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी तथा अवैध अतिकमणकारियो को वाद न0 2700 सन 2025 के नोटिस निर्गत होने के बाद सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर गुण दोष के आधार पर दिनॉक 27.06.2025 को आदेश पारित कर पब्लिक न्यूसैंस के कारण अतिकमण हटाने के आदेश पारित किये जा चुके है तथा मौजा चौसाना के रकवे मे नदी तल पर किये गये 6 अवैध अतिकमणकारियो के विरुद्व 152 भारतीय

नागरिक सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी तथा अवैध अतिकमणकारियो को वाद न0 2701 सन 2025 के नोटिस निर्गत होने के बाद सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर गुण दोष के आधार पर दिनॉक 27.06.2025 को आदेश पारित कर पब्लिक न्यूसैंस के कारण अतिकमण हटाने के आदेश पारित किये जा चुके है। अवैध अतिकमणकारियो की सूची , नोटिस व आदेश की प्रति साथ सलंग्न है।

7– यह कि पैरा नं0 7 के अनुसार सभी विधिक उपाय किये जा रहे है।

8– यह कि पैरा नं0 8 के अनुसार नदी से सम्बन्धित भूमि पर अवैध अतिकमणकारियो के विरुद्व विधिक कार्यवाही की चुकी है तथा अवैध अतिकमणकारियो के द्वारा किये गये अतिकमण को हटाने के आदेश पारित किये जा चुके है।

9– यह कि पैरा नं0 9 विधिक है किसी टिप्पणी की आवश्यकता नही है।

विशेष कथन

10– यह कि जनपद शामली की तहसील ऊन के मौजा चौसाना जदीद, चौसाना बिला अहतमाल, अलीपुरा, भडी, मुस्तफाबाद, सकौती, कमालपुर, गुर्जरपुर, अजीजपुर , काला माजरा , जलालपुर, केरटू ग्रामो के अनुसार स्थानीय प्रचलित नाम से ज्ञात खोखरी नदी हैं परन्तु बन्दोबस्त के समय से राजस्व अभिलेख बन्दोबस्त मे खोखरी नदी का नाम दर्ज नही है कुछ गॉवो के रकबे मे नदी व कुछ गावो के रकबे मे नाला दर्ज चला आ रहा है तथा ग्राम अलीपुरा के खसरा नम्बर 23मि रकबा 0.1260 है0, खसरा नम्बर 23मि रकवा 0.0200है0, खसरा नम्बर 23 मि रकबा 0.1280है0, खसरा नम्बर 23 मि रकबा 1.0440है0, खसरा नम्बर 23 मि रकबा 0.2870है0 काश्तकार के नाम है जो बन्दोबस्त के समय से ही दर्ज है

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 38 मे प्रावधान किया गया है कि :–

' नक्शा , खसरा ,या अधिकार अभिलेख (खतौनी) मे किसी गलती और लोप के सुधार के लिए प्रार्थना पत्र तहसीलदार को विहित रीति से दिया जायेगा ।'

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली 2016 के नियम धारा 36 मे प्रावधान किया गया है कि

' कोई त्रुटि या लोप (फर्जी अथवा कूटरचित प्रविष्टि सहित किन्तु ऐसी त्रृटि या लोप जैसा कि धारा 38 के स्पष्टीकरण मे दिया गया है को छोडकर) नक्शा, खसरा, या

अधिकार अभिलेख मे विद्यमान है वह इस प्रकरण को सम्बन्धित तहसीलदार को प्रेषित करेगा जो इस नियम के अन्तर्गत इस दिशा मे आवश्यक कार्यवाही करेगा।'

परन्तु निजी काश्तकारो के नाम किसी लिपिकीय त्रुटि या लोप फर्जी अथवा कूटरचित के आधार पर नही आये है बल्कि काश्तकारो के नाम बन्दोबस्त के समय से चले आ रहे है इस कारण धारा 38 के अन्तर्गत किसी काश्तकार का नाम राजस्व अभिलेखो से हटाया जाना सम्भव नही है। इस कारण निजी काश्तकारो के विरुद्व कोई विधिक कार्यवाही नही की गयी है तथा नदी व नाला के नाम मे परिवर्तन किया जाना भी धारा 38 के अन्तर्गत नही आता है तथा मौजा सकौती के रकबे मे नदी तल पर किये गये 27 अवैध अतिक्रमणकारियो के विरुद्व 152 भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी तथा अवैध अतिकमणकारियो को वाद न0 2700 सन 2025 के नोटिस निर्गत होने के बाद सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर गुण दोष के आधार पर दिनॉक 27.06.2025 को आदेश पारित कर पब्लिक न्यूसैंस के कारण अतिक्रमण हटाने के आदेश पारित किये जा चुके है तथा मौजा चौसाना के रकबे मे नदी तल पर किये गये 6 अवैध अतिकमणकारियो के विरुद्व 152 भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी तथा अवैध अतिक्रमणकारियो को वाद न0 2701 सन 2025 के नोटिस निर्गत होने के बाद सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर गुण दोष के आधार पर दिनॉक 27.06.2025 को आदेश पारित कर पब्लिक न्यूसैंस के कारण अतिक्रमण हटाने के आदेश पारित किये जा चुके है।

प्रस्तरवार आख्या सादर सेवा मे प्रेषित है ।

ह0लेखपाल — ह0 राजस्व निरीक्षक

ह0लेखपाल — ह0 राजस्व निरीक्षक

ह0 तहसीलदार
07/4/2026
तहसीलदार

ह0उपजिलाधिकारी
उप जिलाधिकारी

कार्यालय तहसीलदार, ऊन, जनपद–शामली।

संख्या /रा0नि0 दिनांक 21–10–2025

Annexure-2

नोटिस

श्री अतरा पुत्र सोहनलाल
निवासी–चौसाना
तहसील ऊन, जनपद शामली

आपको सूचित किया जाता है कि न्यायालाय उप जिला मजिस्ट्रेट ऊन, जनपद
शामली नें निर्णित वाद सं0 टी 202509720702701 सरकार बनाम राजेश आदि ग्राम चौसाना,
तहसील ऊन जनपद शामली, अन्तर्गत धारा 152 बी0एन0एस0एस0 में पारित आदेश दिनांक
27–06–2025 के अनुसार खोखरी नदी की भूमि स्थित ग्राम चौसाना पर आपका अतिक्रमण पाया
गया है। उक्त अतिक्रमण/पब्लिक न्यूसेंस हटवाने हेतु जिलाधिकारी महोदय, जनपद शामली के
अनुमोदन उपरान्त तहसील स्तरीय टास्क फोर्स गठित की गयी है।

अतः आपको इस नोटिस के माध्यम से अन्तिम रूप से सूचित किया जाता है कि
खोखरी नदी की भूमि पर से अपना अतिक्रपण दिनांक 31–10–2025 से पूर्व हटा लें, यदि नियत
दिनांक से पूर्व आपके द्वारा अपना अतिक्रमण नहीं हटाया जाता है, तो उक्त गठित तहसील स्तरीय
टास्क फोर्स द्वारा कभी भी अतिक्रमण हटाये जाने की कार्यवाही कर दी जायेगी तथा अतिक्रमण
हटाने में खर्च/व्यय की आपसे वसूली की जायेगी, यदि कोई उक्त अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही
में अनावश्यक विरोध करता है तो उसके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

राजस्व निरीक्षक,
क्षेत्र–ऊन
तहसील ऊन

अतरे

898

कार्यालय तहसीलदार, ऊन, जनपद–शामली।

संख्या /रा0नि0

दिनांक 21 –10–2025

नोटिस

श्री महीपाल पुत्र जगबीरा व संजीव पुत्र महीपाल
निवासी–चौसाना
तहसील ऊन, जनपद शामली

आपको सूचित किया जाता है कि न्यायालय उप जिला मजिस्ट्रेट ऊन, जनपद शामली में निर्णित वाद सं0 टी 202509720702701 सरकार बनाम राजेश आदि ग्राम चौसाना, तहसील ऊन जनपद शामली, अन्तर्गत धारा 152 बी0एन0एस0एस0 में पारित आदेश दिनांक 27–06–2025 के अनुसार खोखरी नदी की भूमि स्थित ग्राम चौसाना पर आपका अतिक्रमण पाया गया है। उक्त अतिक्रमण/पब्लिक न्यूसेंस हटवाने हेतु जिलाधिकारी महोदय, जनपद शामली के अनुमोदन उपरान्त तहसील स्तरीय टास्क फोर्स गठित की गयी है।

अतः आपको इस नोटिस के माध्यम से अन्तिम रूप से सूचित किया जाता है कि खोखरी नदी की भूमि पर से अपना अतिक्रमण दिनांक 31 –10–2025 से पूर्व हटा लें, यदि नियत दिनांक से पूर्व आपके द्वारा अपना अतिक्रमण नहीं हटाया जाता है, तो उक्त गठित तहसील स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा कभी भी अतिक्रमण हटाये जाने की कार्यवाही कर दी जायेगी तथा अतिक्रमण हटाने में खर्च/व्यय की आपसे वसूली की जायेगी, यदि कोई उक्त अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही में अनावश्यक विरोध करता है तो उसके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

राजस्व निरीक्षक,
क्षेत्र–ऊन
तहसील ऊन

चस्पा कर दिया गया/

899

कार्यालय तहसीलदार, ऊन, जनपद–शामली।

संख्या /रा0नि0 दिनांक 21–10–2025

नोटिस

श्री विनोद पुत्र पिताम्बर
निवासी–चौसाना।
तहसील ऊन, जनपद शामली

आपको सूचित किया जाता है कि न्यायालय उप जिला मजिस्ट्रेट ऊन, जनपद शामली में निर्णित वाद सं0 टी 202509720702701 सरकार बनाम राजेश आदि ग्राम चौसाना तहसील ऊन जनपद शामली, अन्तर्गत धारा 152 बी0एन0एस0एस0 में पारित आदेश दिनांक 27–06–2025 के अनुसार खोखरी नदी की भूमि स्थित ग्राम चौसाना पर आपका अतिक्रमण पाया गया है। उक्त अतिक्रमण/पब्लिक न्यूसेंस हटवाने हेतु जिलाधिकारी महोदय, जनपद शामली के अनुमोदन उपरान्त तहसील स्तरीय टास्क फोर्स गठित की गयी है।

अतः आपको इस नोटिस के माध्यम से अन्तिम रूप से सूचित किया जाता है कि खोखरी नदी की भूमि पर से अपना अतिक्रमण दिनांक 31–10–2025 से पूर्व हटा लें, यदि नियत दिनांक से पूर्व आपके द्वारा अपना अतिक्रमण नहीं हटाया जाता है, तो उक्त गठित तहसील स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा कभी भी अतिक्रमण हटाये जाने की कार्यवाही कर दी जायेगी तथा अतिक्रमण हटाने में खर्च/व्यय की आपसे वसूली की जायेगी, यदि कोई उक्त अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही मे अनावश्यक विरोध करता है तो उसके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

राजस्व निरीक्षक
क्षेत्र–ऊन
तहसील ऊन

विपिन 9756646082

कार्यालय तह900र, ऊन, जनपद–शामली।

संख्या /रा0नि0 दिनांक21–10–2025

नोटिस

श्री वासीद्दू पुत्र छैराम्बर
निवासी–चौसाना
तहसील ऊन, जनपद शामली

आपको सूचित किया जाता है कि न्यायालय उप जिला मजिस्ट्रेट ऊन, जनपद शामली में निर्णित वाद सं0 टी 202509720702701 सरकार बनाम राजेश आदि ग्राम चौसाना, तहसील ऊन जनपद शामली, अन्तर्गत धारा 152 बी0एन0एस0एस0 में पारित आदेश दिनांक 27–06–2025 के अनुसार खोखरी नदी की भूमि स्थित ग्राम चौसाना पर आपका अतिक्रमण पाया गया है। उक्त अतिक्रमण/पब्लिक न्यूसेंस हटवाने हेतु जिलाधिकारी महोदय, जनपद शामली के अनुमोदन उपरान्त तहसील स्तरीय टास्क फोर्स गठित की गयी है।

अतः आपको इस नोटिस के माध्यम से अन्तिम रूप से सूचित किया जाता है कि खोखरी नदी की भूमि पर से अपना अतिक्रमण दिनांक 31–10–2025 से पूर्व हटा लें, यदि नियत दिनांक से पूर्व आपके द्वारा अपना अतिक्रमण नहीं हटाया जाता है, तो उक्त गठित तहसील स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा कभी भी अतिक्रमण हटाये जाने की कार्यवाही कर दी जायेगी तथा अतिक्रमण हटाने में खर्च/व्यय की आपसे वसूली की जायेगी, यदि कोई उक्त अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही में अनावश्यक विरोध करता है तो उसके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

राजस्व निरीक्षक,
क्षेत्र–ऊन
तहसील ऊन

सुरेश

9568086478

कार्यालय तहसीलदार, ऊन, जनपद–शामली।

संख्या /रा0नि0 दिनांक 21 –10–2025

नोटिस

श्री प्रमोद पुत्र बिजेन्दर
निवासी–चौसाना
तहसील ऊन, जनपद शामली

आपको सूचित किया जाता है कि न्यायालाय उप जिला मजिस्ट्रेट ऊन, जनपद शामली मे निर्णित वाद सं0 टी 202509720702701 सरकार बनाम राजेश आदि ग्राम चौसाना, तहसील ऊन जनपद शामली, अन्तर्गत धारा 152 बी0एन0एस0एस0 में पारित आदेश दिनांक 27–06–2025 के अनुसार खोखरी नदी की भूमि स्थित ग्राम चौसाना पर आपका अतिक्रमण पाया गया है. उक्त अतिक्रमण/पब्लिक न्यूसेंस हटवाने हेतु जिलाधिकारी महोदय, जनपद शामली के अनुमोदन उपरान्त तहसील स्तरीय टास्क फोर्स गठित की गयी है।

अतः आपको इस नोटिस के माध्यम से अन्तिम रूप से सूचित किया जाता है कि खोखरी नदी की भूमि पर से अपना अतिक्रमण दिनांक 31 –10–2025 से पूर्व हटा लें, यदि नियत दिनांक से पूर्व आपके द्वारा अपना अतिक्रमण नहीं हटाया जाता है, तो उक्त गठित तहसील स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा कभी भी अतिक्रमण हटाये जाने की कार्यवाही कर दी जायेगी तथा अतिक्रमण हटाने में खर्च/व्यय की आपसे वसूली की जायेगी, यदि कोई उक्त अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही में अनावश्यक विरोध करता है तो उसके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

राजस्व निरीक्षक
क्षेत्र–ऊन
तहसील ऊन

अंकित
9568327423

कार्यालय तहसीलदार, ऊन, जनपद–शामली।

/रा०नि० 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　दिनांक 21–10–2025

नोटिस

श्री राजेश पुत्र रनक
निवासी–चौसाना
तहसील ऊन, जनपद शामली

आपको सूचित किया जाता है कि न्यायालाय उप जिला मजिस्ट्रेट ऊन, जनपद शामली में निर्णित वाद सं0 टी 202509720702701 सरकार बनाम राजेश आदि ग्राम चौसाना, तहसील ऊन जनपद शामली, अन्तर्गत धारा 152 बी0एन0एस0एस0 में पारित आदेश दिनांक 27–06–2025 के अनुसार खोखरी नदी की भूमि स्थित ग्राम चौसाना पर आपका अतिक्रमण पाया गया है। उक्त अतिक्रमण/पब्लिक न्यूसैंस हटवाने हेतु जिलाधिकारी महोदय, जनपद शामली के अनुमोदन उपरान्त तहसील स्तरीय टास्क फोर्स गठित की गयी है।

अतः आपको इस नोटिस के माध्यम से अन्तिम रूप से सूचित किया जाता है कि खोखरी नदी की भूमि पर से अपना अतिक्रमण दिनांक 31–10–2025 से पूर्व हटा लें, यदि नियत दिनांक से पूर्व आपके द्वारा अपना अतिक्रमण नहीं हटाया जाता है, तो उक्त गठित तहसील स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा कभी भी अतिक्रमण हटाये जाने की कार्यवाही कर दी जायेगी तथा अतिक्रमण हटाने में खर्च/व्यय की आपसे वसूली की जायेगी, यदि कोई उक्त अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही में अनावश्यक विरोध करता है तो उसके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

राजस्व निरीक्षक
क्षेत्र–ऊन
तहसील ऊन

Ravit Kumar
8057795264